

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर  
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी रुक्मीग, जयपुर - 302 005  
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- खअ/जय/निविदा/2020/ 310-395

दिनांक :- 25/8/2020

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी का विवरण

जयपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैंकिंग के दौरान जब्त शुदा खनिज बजरी (जैसी हैं उसी स्थिति में) पड़ी हुई है, जिसे दिनांक 23 सितम्बर 2020 को नीलाम किया जाना है:-

क्रम सं.	पुलिस थाने का नाम जहां जप्त बजरी पड़ी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/ अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.)
1	दौलतपुरा चौकी	46	3200	32200
2	सायपुरा चौकी	173	12100	121100
3	आमेर	20	1400	14000
4	सराय बावडी	30	2100	21000
5	चन्दवाजी चौकी	213	15000	149100
6	जालसू	6	1000	4200
7	जाटावाली	40	2800	28000
8	अचरौल चौकी	48	3400	33600
9	टाटियावास चौकी	186	13000	130200
10	कुण्डा चौकी	136	10000	95200
11	कालवाड	618	43500	432600
12	करधनी	494	35000	345800
13	हरमाडा	360	25200	252000
14	विद्याधर नगर	48	3400	33600
15	महेश नगर	72	5100	50400
16	मानसरोवर	262	18400	183400
17	शिप्रा पथ	106	7500	74200
18	मालवीयनगर	122	8600	85400
19	जवाहर सर्किल	72	5100	50400
20	इयाम नगर	30	2100	21000
21	करनी विहार	330	23100	231000
22	ब्रह्मपुरी	61	4300	42700
23	वजाज नगर	131	9200	91700
24	मुरलीपुरा	222	15600	155400
25	विश्वकर्मा	73	5200	51100
26	विंदायका चौकी	306	21500	214200
27	चित्रकूट	29	2100	20300
28	भट्टा बस्ती	60	4200	42000
29	शास्त्री नगर	104	7300	72800
30	सोडाला	3	5000	2100
31	वैशाली नगर	46	3300	32200

3

32	ज्योति नगर	32	2300	22400
33	जवाहर नगर	20	1400	14000
34	ट्रांसपोर्ट नगर	141	9900	98700
35	आदर्श नगर	80	5600	56000
36	गांधी नगर	4	1000	2300
37	रामगंज	14	1000	9300
38	गलता गेट	315	22100	220500
39	कालाडेरा	315	22100	220500
40	गोविन्दगढ़	182	13000	127400
41	चौमू	250	17500	175000
42	रेनवाल	72	5100	50400
43	सामोद	47	3300	32900
44	खेजडोली चौकी	74	5200	51800
45	मुहाना	956	50000	659200
46	मुहाना मण्डी	107	7500	74900
47	सांगानेर	1289	50000	902300
48	प्रतापनगर	384	27000	268800
50	सांगानेर सदर	291	20500	203700
51	खो नागोरियान	189	13300	132300
52	सेज थाना	424	30000	296800
53	दांतली सिरोली चौकी	12	1000	8400
54	शिवदासपुरा	1219	50000	553300
55	वरसी	46	3300	32200
56	तुंगा वरसी	120	8400	84000
57	आंधी	154	11000	107800
58	वगराना चौकी	250	17500	175000
59	कानोता	327	23000	228900
60	जटवाडा	12	1000	8400
61	जमवारामगढ़	188	13200	131600
62	रायसर चौकी	245	17200	171500
63	फागी	2415	50000	1590500
64	माधोराजपुरा चौकी	449	31500	314300
65	निमेडा	406	28500	284200
66	रेनवाल चौकी (फागी)	631	44200	441700
67	चाकसू	667	46700	466800
68	कोटखावदा	242	17000	169400
69	फुलेरा	73.46	5200	51422
70	जोबनेर	452	32000	316400
71	नरैना	126	9000	88200
72	बंधे के बालाजी	57	4000	39900
73	दूदू	1412	50000	988400
74	मौजमाबाद चौकी	80	5600	56000
75	सांभर	76	5400	53200
76	बगरू	1835	50000	1284500
77	भांकरोटा	2148	50000	1503600

78	महला चौकी	597	41800	417900
79	विचून चौकी	46	3300	32200
	कुल योग	23918.46	1246300	16742922

निविदा कार्यवाही हेतु शर्त निम्नानुसार रहेगी :— नोट निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार / विभाग द्वारा निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

1. निविदा सीलवंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से थाना क्षेत्र का नाम जहां वजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर खनिज भवन, पंचम तल के कमरा नं. 504 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 23 सितम्बर 2020 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक थाना क्षेत्र/चौकी के अनुसार वयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, जयपुर के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक थाना क्षेत्र/चौकी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो वयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे। निविदा राशि रु. 10/- प्रतिटन के गुणकों में ही मान्य होगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि वकाया नहीं है।
4. जप्तशुदा वजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में संवंधित पुलिस थाना/चौकी परिसर में की जा सकती है।
5. सफल निविदादाता को जप्तशुदा वजरी पुलिस थाना/चौकी परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्च पर उठानी होगी।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 24 सितम्बर 2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कमेटी हॉल में खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जायेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफलतम निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगी। अन्यथा जमा राशि जप्त करते हुये वजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित थाना क्षेत्र/चौकी की खनिज वजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेवर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
9. सफल निविदादाता को वोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
11. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही वजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
12. 500 टन से अधिक खनिज वजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही वार में व्यवस्था करनी होगी।
13. तुलाई के वाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के वैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।

14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रखना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बंधित ऊपर अंकित अधिकारियों को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रखना किया जा सकेगा।
15. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक रट्टॉक की फोटो, वाहनों की लोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल विना किसी विलम्ब के सम्बंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
17. प्रत्येक रट्टॉक को नियत रामय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस सम्बंध में सफल वोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. सफल वोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा रट्टॉक रथल रो प्रत्येक वाहन का गेन्युअल रखना जारी किया जायेगा।
20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
21. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जगा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रखना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। कोई भी वाहन विना रखना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।

*25/8/2020*  
 (अनिल गुप्ता)  
 खनि अभियन्ता जयपुर  
 दिनांक :

क्रमांक:- खअ/जय/नीलामी/2020/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है:-

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजरथान उदयपुर।
2. प्रभारी, डीएमजी आएमएस, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर।
6. थानाधिकारी पुलिस थाना दोलतपुरा चौकी, शायपुरा चौकी, आगेर, राराय बावड़ी, चन्दवाजी चौकी, जालसू, जाटावाली, अचरोल चौकी, टाटियावास चौकी, कुण्डा चौकी, कालवाड, करधनी, हरमाडा, विधाधर नगर, महेश नगर, मासनरोवर, शिप्रापथ, मालवीय नगर, जवाहर सर्काल, श्याम नगर, करणी विहार, ब्रह्मपुरी, बजाज नगर, मुरलीपुरा, विश्वकर्मा, विन्दायका चौकी, चित्रकूट, भट्टा वस्ती, शास्त्री नगर, सोडाला, वैशाली नगर, ज्योति नगर, जवाहर नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, आदर्श नगर, गांधी नगर, रामगंज, गलता गेट, कालाडेरा, गोविन्दगढ़, चौमूर, रेनवाल, सामोद, खेजडोली चौकी, मुहाना, मुहाना मण्डी, सांगानेर, प्रताप नगर, सांगानेर सदर, खोनागोरियान, सेज थाना, दांतली सिरोली चौकी, शिवदासपुरा, वस्ती, तुंगा वस्ती, आंधी, बगराना चौकी, कानोता, जटवाडा, जमवारामगढ़, रायसर चौकी, फागी, माधोराजपुरा चौकी, निमेडा, रेनवाल चौकी (फागी), चाकसू, कोटखावदा, फुलेरा, जोवनेर, नरैना, वंधे के वालाजी, दूदू, मौजमावाद चौकी, सांभर, बगरू, भांकरोटा, महला चौकी, विचून चौकी।
7. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

*26/8/2020*  
 खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर  
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर – 302 005  
दूरभाष नं. 0141–2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

## निविदा प्रपत्र

मेरे द्वारा पुलिस थाना/चौकी ..... में पड़ी जप्तशुदा बजरी  
की अनुमानित मात्रा एवं गुणवत्ता आदि की जानकारी कर ली गई है।

मैं पुलिस थाना/चौकी परिसर ..... में पड़ी सम्पूर्ण बजरी (मात्रा जो  
निविदा सूचना में अंकित है) के लिये अपनी निविदा बोली राशि रु. .... (अक्षरे रु.  
.....) (प्रति टन) प्रस्तुत करता हूँ। (निविदा राशि  
रु. 10/- प्रतिटन के गुणकों में ही मान्य होगी)।

बयाना/अमानत राशि का डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या ..... दिनांक  
राशि रु..... संलग्न है।

निविदा कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :— नोट निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक  
यदि राज्य सरकार/विभाग द्वारा निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

1. प्रत्येक पुलिस थाना/चौकी के लिए अलग निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।  
लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/चौकी का नाम लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ  
कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर खनिज भवन, पंचम तल के कमरा नं. 504 पर रखे टेप्डर  
वॉक्स में दिनांक 23 सितम्बर 2020 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ पुलिस थाना/चौकी के अनुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाप्ट  
झापट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, जयपुर के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न  
करना होगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक पुलिस थाना/चौकी के लिये निविदा  
प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानत राशि के डिमाप्ट झापट/बैंकर्स चैक भी अलग—अलग ही  
संलग्न करने होंगे। निविदा राशि रु. 10/- प्रतिटन के गुणकों में ही मान्य होगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या  
फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध  
विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में  
संबंधित पुलिस थाना/चौकी परिसर में की जा सकती है।
5. सफल निविदादाता को जप्तशुदा बजरी पुलिस थाना/चौकी परिसर में जैसी भी जितनी भी  
जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्च पर उठानी होगी।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 24 सितम्बर 2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित  
निविदादाता के समक्ष कमेटी हॉल में खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा  
संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जायेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश  
पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा  
करानी होगी। सफलतम निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20  
दिवस ही अनुमत होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली  
जायेगी।
7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित पुलिस थाना/चौकी की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने  
की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन (इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी।  
इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

५. निविदादाता को एड्रेस पुक, बोटर आईडी, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड इत्यादि की छाति, फर्म के नामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की स्वयं ग्रनांगित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
६. सकल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/Tax अतिरिक्त यांत्रा कराना होगा।
७. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
८. सकल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
९. ५०० टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिकों को उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। ५०० टन से कम भाग के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
१०. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
११. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय सवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बंधित ऊपर अंकित अधिकारियों को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।
१२. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सकल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
१३. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं घरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
१४. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस सम्बंध में सकल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
१५. सकल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की विविदता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खानि अभियन्ता एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बंधित कार्यालय को ग्रास्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
१६. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का फैस्युअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
१७. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
१८. सकल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खानि अभियन्ता जयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खानि के विविदता द्वारा वाहन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
१९. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।

संलग्न:- 1

2

3

निविदादाता की जांच  
एवं हस्ताक्षर खो. सं.